"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 180-ब] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2002—आषाढ़ 28, शक 1924

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-3/2002/1-7/साप्रवि.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम, 1972 में निम्न संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्न उप-नियम स्थापित किया जाए.

   "रुपये 3,000/- (रुपये तीन हजार) प्रतिमाह सम्मान निधि स्वीकृत की जावेगी."

2. उक्त संशोधन दिनांक 1 जनवरी, 2002 से प्रभावशील हुआ समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

क्रमांक एफ-5-3/2002/1-7/साप्रवि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-3/2002/1-7/साप्रवि दिनांक 19 जुलाई, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

Raipur, the 19th July 2002

NOTIFICATION

No. F-5-3/2002/1-7 (GAD).—State Government hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Swatantrata Sangrama Sainik Samman Nidhi Rules, 1972.

AMENDMENT

In the said rules :—

1. For sub-rule (1) of the Rule 4, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

   "Rs. 3000/- (Rupees Three Thousand) per month Samman Nidhi may be sanctioned.

2. It shall come into force with effect from First day of January, 2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. C. SURYA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.